

समाहरणालय, मुंगेर।
(जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

आदेश

निदेशक सामाजिक सुरक्षा, बिहार, पटना के पत्रांक-410 दिनांक 10.03.17 के आलोक में कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 (द्वितीय किस्त) के लिये सरकार से सामान्य घटक के अधीन मो0-3558000-(पैतीस लाख अनठावन हजार) रूपये एवं विशेष घटक के तहत मो0-1852000/- (अठारह लाख बावन हजार) रूपये **RTGS** से प्राप्त हुआ है, उक्त प्राप्त राशि को निम्नतालिका के अनुरूप सभी प्रखंडों/नगर निगम, मुंगेर/ नगर परिषद, जमालपुर एवं नगर पंचायत खड़गपुर को राशि अन्तरित की जाती है।

क्र0	प्रखण्ड एवं नगर निकाय का नाम	सामान्य घटक में उपलब्ध राशि	विशेष घटक में उपलब्ध राशि	कुल उपलब्ध राशि
1	2	3	4	5
1	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर	312000	117000	429000
2	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जमालपुर	240000	90000	330000
3	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर	264000	99000	363000
4	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, धरहरा	312000	117000	429000
5	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर	432000	162000	594000
6	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, टेटियाबम्बर	168000	63000	231000
7	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर	288000	108000	396000
8	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर	240000	90000	330000
9	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज	168000	63000	231000
10	नगर आयुक्त, मुंगेर	540000	405000	945000
11	कार्यपालक पदा0 नगर परिषद, जमालपुर	432000	324000	756000
12	कार्यपालक पदा0 नगर पंचायत, खड़गपुर	162000	216000	378000
कुल		3558000	1854000	5412000

- बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य की स्वभाविक या आकस्मिक रूप से मृत्यु की स्थिति में अन्त्येष्टि क्रिया सम्पन्न कराने के निमित्त 3000.00 (तीन हजार) रूपये नगद भुगतान का प्रावधान है।
- उपलब्ध करायी जा रही राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 2010 दिनांक 27.08.2014 के आलोक में किया जाय। पत्र की प्रति संलग्न। पत्र में उल्लेखित दिशा निदेश का पालन किया जाय।
- कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना के अन्तर्गत पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि तथा वर्तमान में उपलब्ध राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाय, ताकि ससमय सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जा सके।
- इस संबंध में आपको आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त उपलब्ध राशि का चेक प्राप्त करने हेतु अपने नाजिर/कैशियर को नाजिर रसीद के साथ पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मुंगेर में प्रतिनियुक्त करें।
अनुलग्नक:- यथोक्त।

25/17
जिलाधिकारी,
मुंगेर।

